रिपोर्ट पटवारी हल्का [illegible]

[illegible] शासन द्वारा शिविर कार्यालय की जमाबंदी वर्ष 2016-2017 के खाता सं. 69 में खातेदार सुरेशचन्द पुत्र रघुनाथ के नाम की अनुसार जाति जाट के खाता सं. 7, 45 व 46 घनश्याम उर्फ सुरेशचन्द जाति जाट हि० जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड व विवाह प्रमाण पत्र अनुसार पटवार० 45 में घनश्याम पुत्र रघुनाथ है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार सुरेशचन्द [illegible] सुरेशचन्द पुत्र रघुनाथ के स्थान पर घनश्याम पुत्र रघुनाथ किया जाना उचित होगा।

रिपोर्ट भू.अ.नि. शाखा

पटवारी हल्का

ILR
फतेहपुर नगर

LR - 34

रिपोर्ट तहसीलदार, श्रीमाधोपुर 8/6/23

श्रीमानजी

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं आख्या भू.अ.नि.शाखा के ग्राम शिवराम का बास के खाता सं० 69, 7, 45, 46 दर्ज सुरेश पि० रघुनाथ अशुद्ध है। विकास इबारती हेतु उक्त अशुद्ध खाते में सुरेश उर्फ घनश्याम पि० रघुनाथ के स्थान घनश्याम पि० रघुनाथ इबारती करने की आख्या को प्रार्थी आदेश

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुताबिक पटवारी, भू.अ.नि. रिपोर्ट, फर्लान दस्तावेज एवं तहसीलदार की आख्या के अनुसार शिवराम का बास के खाता नं. - 7, 45, 46, 69 में दर्ज सुरेशचन्द पुत्र रघुनाथ एवं घनश्याम उर्फ सुरेशचन्द के स्थान पर घनश्याम पुत्र रघुनाथ दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 10:21:48 IST
Reason: SelfAttested

शिविर प्रभारी अधिकारी
पंचायत समिति श्रीमाधोपुर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के [illegible]